[2013] 1 एस. सी. आर. 504

प्रशांत भारती

बनाम

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 175)

23 जनवरी, 2013

[डी.के. जैन और जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 सपठित धारा 401- अपराधिक कार्यवाही को निरस्त करना- अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विवाह का झूठा वचन देकर धारा 328, 354, 376 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया- आरोप-पत्र पेश हुआ- आरोप विरचित- निर्धारितः आरोप पत्र में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति की गयी कि उसने आरोपों को साबित करने के लिये सबूत नही पाये- आरोप पत्र केवल अभियोक्त्री के धारा 164 के तहत कथनों के आधार पर पेश किया गया- आगे, अभियोक्त्री और अभियुक्त के मोबाईल के वैज्ञानिक परीक्षण से, अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का घटित होना विचारण में स्थापित नही हुआ- इसलिए, उच्च न्यायालय को उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपीलार्थी

के विरूद्ध शुरू की गयी आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त करने के लिये अपने न्यायिक अंतःकरण को आश्वस्त करना चाहिए था- तद्नुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पारिणामिक आरोप-पत्र विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप को निरस्त किया- दंड संहिता, 1860- धारा 328, 354 तथा 376

परिवादिया/अभियोक्त्री के कथनों के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 328 तथा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के अधीन दर्ज की गयी। अपीलार्थी-अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के उससे विवाह करने का आश्वासन देकर, उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने के अनुपूरक कथन किये गये, जिनमें अंतिम बार प्रिाम सूचना रिपोर्ट की दिनांक से डेढ महीने बताया था। तद्नुसार, धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध प्रकरण में जोड़ा गया। तत्पश्चात परिवादिया/अभियोक्त्री के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किये गये। यात्री द्वारा झूठा फंसाया जाना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की याचिका दायर की गयी और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गयी। यहां तक कि अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने के लिये पेश की गयी रिट याचिका भी खारिज की गयी। अभियुक्त द्वारा आरोप विरचित करने के

आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष असफल चुनौती दी गयी, जिस पर यह अपील पेश की।

अपील अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय द्वारा-

अभिनिर्धारित किया : 1.1 यह न्यायालय संतुष्ट है कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा किया गया अभिकथन, कि 23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को उसे अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिये विवाह करने के वचन के आधार पर उत्प्रेरित किया गया, निर्विवाद रूप से झूठे रहे है, जैसा कथित अवधि में और एक वर्ष आठ माह से अधिक समय पश्चात, वह 'एलपी` से विवाहित रही। उसके द्वारा यह भी पुष्टि की गयी कि तत्पश्चात उसके द्वारा 'एम` से पुनर्विवाह किया गया और विवाह प्रमाण पत्र दिनांकित 30.9.2008 पेश किया गया। परिवादिया/अभियोक्त्री तथा अपीलार्थी-अभियुक्त के बीच लैंगिक संभोग किसी वैज्ञानिक जांच की अनुपल्बधता में यह संभावना नही है, कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा किये गये तथ्यात्मक अभिकथन अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध स्वीकार किये जावें। आगे, जाहिर तौर पर बिना किसी आश्वासन के सह संवेदी संबंध जैसा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित किया गया है, धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध को प्रमाणित नही करते है। [पैरा 15-17][515-F-G; 516-D-E; 517-A-B, D-E; 518-A]

1.2 दिनांक 15.2.2007 की घटना के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा प्रथम परिवाद दिनांकित 16.2.2007 में किये गये अभिकथन, आरोपित घटनास्थल पर आरोपित समय पर अपीलार्थी-अभियुक्त की व उसकी उपस्थिति संबंधित पक्षकार की मोबाईल फोन की सम्पर्क विवरणी से झूठी स्थापित होती है, और इस पर यह सभी आशय और उद्देश्यों के लिये निश्चायक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। तथ्यात्मक निष्कर्ष परीक्षण के समापन पर बदला नही जा सकता, जबकि ऐसी अवधारणा वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित हो। न ही अभियौत्री द्वारा कथित सामग्री का विरोध नही किया गया है। इस प्रकार, यह जाहिर है कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध के विरूद्ध उसकी लज्जा भंग करने का लगाया गया आरोप गलत था। क्या परिदृष्य स्थापित हुआ, विचारण की समाप्ति पर समान साक्ष्य के आधार पर पुनः पुष्टि करनी होगी। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में यह निष्कर्षित किया जाना चाहये कि अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप, जो 16.2.2007 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, यहां तक कि उसके अनुपूरक कथन, कभी भी उसकी दोषसिद्धि के लिये अग्रसर नही होगें। [पैरा 18][518-B, D-E; 519-C-H]

गजराज बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.) 2011 (12) एस.सी.आर. 701 = 2011 (10) एस.सी.सी. 675 पर निर्भर किया

1.4 अति महत्वपूर्ण, परिवादिया द्वारा आरोपों के विरूद्ध अभिवचन प्रस्तुत नही किये गये। तथ्य के मामले में, अभियोक्त्री स्वयं इस प्रार्थना के

साथ उच्च न्यायालय पहुॅची कि उसके द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त की जावे। तद्नुसार प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर यह सही होगा कि अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया है, का परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा खंडन नही किया गया है। यहां तक कि आरोप पत्र दिनांकित 28.6.2007 में, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है कि उसने आरोपों को साबित करने के लिये सबूत नही पाये। आरोप पत्र केवल अभियोक्त्री के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कथनों के आधार पर पेश किया गया है। [पैरा 21] [525-A-C]

1.5 तत्पश्चात, आलौच्य आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध शुरू की गयी आपराधिक कार्यवाही को उसमें धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर समाप्त करने के लिये न्यायिक अंतःकरण को संतुष्ट करना चाहये था। तद्नुसार, यह न्यायालय संतुष्ट है कि धारा 3328, 354 और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिये अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, पारिणामिक आरोप पत्र तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विरचित आरोप निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश किया। [पैरा 22][525-E-G]

राजीव थापर व अन्य बनाम मदन लाल कपूर [2013] 1 एस.सी.आर. - निर्भर किया।

निर्णय विधि निर्देशः

2011 (12) एस.सी.आर. 701	निर्भर किया	पैरा 18
[2013] 1 एस.सी.आर	निर्भर किया	पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2013 की आपराधिक अपील संख्या 175

नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 08 के निर्णय व आदेश दिनांकित 16.01.2009 से

के.टी.एस. तुलसी, गौरव भार्गव (नीरज गुप्ता के लिये) अपीलार्थी की ओर से।

आर.के. राठौड़, विकास बंसल, डी.एस. मेहरा (अनिल कटियार के लिये) (प्रिया-परिवादिया) प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

जगदीश सिंह खेहर, जे. 1. अनुमति दी गयी।

2. 16.2.2007 को, प्रिया (जिसे तत्पश्चात परिवादिया/अभियोक्त्री से निर्देेशित किया जावेगा) आयु 21 वर्ष निवासी तुगलकाबाद विस्तार, नई दिल्ली ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (जिसे तत्पश्चात पीसीआर से निर्देशित किया जाएगा) को फोन किया। पुलिस कार्मिक तुरंत उसके निवास पर पहुॅचे। उसने पुलिस को एक बयान दिया, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 2007 की संख्या 47 पुलिस थाना लोदी काॅलोनी, नई दिल्ली धारा 328 और 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गई। पुलिस को दिए अपने बयान में, परिवादिया/अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी प्रशांत भारती (जिसे तत्पश्चात अपीलार्थी-अभियुक्त से निर्देशित किया जाएगा) उसे लगभग चार महीने से जानता था। अपीलार्थी-अभियुक्त लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली का निवासी था। यह आरोप लगाया गया था कि पिछले दिन यानि 15.2.2007 को, अपीलार्थी-अभियुक्त ने परिवादिया/अभियोक्त्री को लगभग 8.45 अपराह्न फोन किया था, और उसे लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में मिलने के लिए कहा था। जब वह लोदी कॉलोनी पहुॅची तो वह उसे अपनी कार में घुमाता रहा। उसके द्वारा परिवादिया/अभियोक्त्री को ठंडे पेय (पेप्सी) की पेशकश की गयी जिसमें कथित तौर पर जहरीला/नशीला पदार्थ मिला हुआ था। परिवादिया/अभियोक्त्री के अनुसार ठंडा पेय पीने के बाद उसे नशा महसूस हुआ। उसकी उक्त अवस्था में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने उसके स्तनों को भी छुआ। परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा उसे रोकने के बावजूद, यह आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना जारी

रखा। इसके बाद परिवादिया/अभियोक्त्री ने कार रुकवाई और अपने निवास पर लौटने के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लिया। अपने बयान में, परिवादिया/अभियोक्त्री ने पुलिस से अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया।

3. प्रिया (परिवादिया/अभियोक्त्री)के कथन लेखबद्ध करने के तुरंत बाद, 16.2.2007 को, पुलिस उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिसे तत्पश्चात एम्स से निर्देशित किया जाएगा), नई दिल्ली ले गई। उसका चिकित्सा परीक्षण अपराह्न 1.44 बजे किया गया। यहां यह दर्ज करना उचित है कि एम्स में तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, जहर का कोई सबूत नहीं था।

4. परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती को उसी दिन अपराह्न 6 बजे गिरफ्तार किया गया, जिस दिन परिवादिया ने अपना बयान दर्ज कराया था, यानि घटना के एक दिन बाद 16.2.2007 को।

5. पांच दिन और बीतने के बाद, 21.2.2007 को पूर्वाह्न 8.20 बजे, परिवादिया/अभियोक्त्री ने पुलिस को एक अनुपूरक बयान दिया। इस अवसर पर उसने आरोप लगाया कि अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती उससे विवाह करने के आश्वासन पर उसके साथ अपने घर में शारीरिक संबंध बनाता रहा है। परिवादिया/अभियोक्त्री ने यह भी आरोप लगाया था कि

अपीलार्थी-अभियुक्त ने बाद में उससे विवाह करने से इन्कार कर दिया था। 15.2.2007 की घटना के संदर्भ में उसने आरोप लगाया कि प्रशांत भारती ने उसे ठंडे पेय (पेप्सी) में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया था, ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। लेकिन, यह आरोप लगाया गया कि वह 15.2.2007 को उसकी उक्त इच्छा के आगे नहीं झुकी। परिवादिया/अभियोक्त्री ने आगे आरोप लगाया, कि 15.2.2007 को अपने निवास पर लौटने के बाद, उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ और तद्नुसार, वह सोने चली गयी। इसलिए उसने बताया कि उसने घटना के अगले दिन अपनी पिछली शिकायत क्यों की थी। अपने अनुपूरक बयान में, उसने पुलिस से अनुरोध किया कि वह अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती के खिलाफ अपने निवास पर (23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को) उससे विवाह करने के झूठे आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर कानूनी कार्यवाही करे।

6. उसके पूरक बयान को दर्ज करने के तुरंत बाद, परिवादिया/अभियोक्त्री को एम्स ले जाया गया। 21.2.2007 को दोपहर 12 बजे एम्स में उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। एम्स में उसकी जांच के बाद तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि उसके कोई बाहरी चोट नही थी और उसका योनिच्छद अक्षुण्ण नही था। यह बताया गया कि योनि स्मीयर नहीं लिया गया था, क्योंकि आरोपित संभोग की तारीख से एक महीने से अधिक समय बीत चुका था। इसी तरह, यह

बताया गया कि उसके कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे गए थे, क्योंकि कथित घटना के समय उसने अपने पहने हुए कपड़े बदल लिए थे। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त द्वारा किये गये अभिकथन का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया जा सका, क्योंकि परिवादिया की चिकित्सकीय जांच काफी देरी के बाद की गयी थी।

7. दिनांक 21.2.2007 को प्रिया (परिवादिया/अभियोक्त्री) के दर्ज किये गये अनुपूरक कथन के आधार पर मामले में धारा 376 के तहत अपराध प्रकरण में जोड़ा गया था।

8. 27.2.2007 को, परिवादिया/अभियोक्त्री के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन महानगर मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली द्वारा (2007 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47 में) लेखबद्ध किये गये। उपरोक्त कथन का एक प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "... फिर प्रशांत ने मेरा नंबर और पते का विवरण मांगा। मैंने उसे अपने ऑफिस का टेलीफोन नंबर दे दिया। शाम को, श्री प्रशांत भारती ने मुझे फोन किया और ऋण के बारे में बात की और कुछ दिनों बाद, प्रशांत भारती मेरे कार्यालय में मिलने आया और उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए और एक दिन, प्रशांत भारती ने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता हैं और मुझसे विवाह करना चाहता हैं और

उसके बाद वे अक्सर मिलने लगे और मैंने विवाह के लिये सहमति दी।

एक दिन, जब घर के सभी सदस्य कहीं गये हुए थे, प्रशांत भारती ने मुझे पार्टी के लिए अपने घर बुलाया और उसने मुझसे कहा कि वह जल्द ही मुझसे विवाह करेगा और हमारे रिश्ते के बारे में अपने माता-पिता को बता देगा और उसने मेरे साथ संबंध बनाया। और, जब भी उसका घर खाली होता था, तो वह अक्सर मुझे फोन करता था और जब उसके परिजन आते थे, मैं उससे उनसे हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए कहती और उसने यह बात नहीं बताई और इस मुद्दे पर हम एक-दूसरे से लड़ते हैं और मैंने उसके परिजनों को यह बात बता दी। तब उसके परिजनों ने प्रशांत को इस बारे में बुलाया और प्रशांत भारती ने अपने पिता को हमारे रिश्ते से इन्कार कर दिया और न ही वह मुझसे विवाह करना चाहता है और उस दिन मुझे उसके परिजनों ने मेरे घर भेज दिया।

दो दिन के बाद, प्रशांत भारती ने मुझे फोन किया और मुझसे उससे मिलने के लिये पूछा, क्योंकि वह माफी मांगना चाहता था और जब मैं कार्यालय से अपने घर पहुंचने वाली थी, तब ऑटो रिक्शा के जरिये सेंट्रल स्कूल, लोदी कॉलोनी

पहुॅची, जहां प्रशांत भारती अपनी सेंट्रो कार के पास खड़ा था, और वह मुझसे वहां मिला और उसने मुझसे कहा कि उससे गलती हुई है और वह माफी मांगना चाहते हैं और कुछ समय बाद वह मुझे अपनी कार में ले गया और उसके बाद, उसने मुझसे कहा कि उसे प्यास लग रही है और उसके बाद, वह कार में पेप्सी ले आया और हम दोनों ने पेप्सी ली। और, उसे पीने के बाद, मैं अपना होश खो बैठी और उसके बाद, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने मुझे बताया कि, क्योंकि मैंने उसके पिता से शिकायत की थी, वह मुझसे बदला लेगा और उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मैं तुरंत कार से उतरकर ऑटो से अपने घर आ गई और मेरी तबियत खराब होने के कारण मैं पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाई. अगले दिन, मैंने 100 नंबर पीसीआर को फोन किया और वहां पुलिस कार्मिक मेरे साथ थे और मैंने एसएचओ सुरिंदर जीत को सब कुछ बताया और उस आधार पर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया।"

9. दिनांक 12.3.2007 के एक आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली ने अपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत स्वीकृत की।

12.3.2007 को पारित उपरोक्त आदेश में, अपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ देने के लिए निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति पर विश्वास किया गया था। अपीलार्थी-अभियुक्त 15.2.2007 को उत्तर प्रदेश राज्य में सेक्टर 37, नोएडा में था। अपराह्न 7.55 बजे से पहले वह नोएडा में था। उसके बाद, वह नोएडा के भीतर विभिन्न स्थानों पर रहा और फिर शकरपुर, गाजियाबाद, पटपड़गंज, जोरबाग आदि में रहा। 15.2.2007 को अपराह्न 9.15 बजे से 11.30 बजे तक, वह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रंगोली लॉन में मनाए गए एक विवाह वर्षगांठ समारोह में उपस्थित रहा। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आशय का शपथ पत्र पेश किया गया जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन कॉल विवरण के आधार पर सही पाया गया। परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया के मोबाइल फोन कॉल विवरण के सत्यापन से पता चला कि 15.2.2007 को, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादिया/अभियोक्त्री को कोई फोन नहीं किया गया था, और यह परिवादिया/अभियोक्त्री ही थी, जिसने उसे फोन किया था। परिवादिया/अभियोक्त्री, दिनांक 16.2.2007 की शिकायत में उल्लिखित समय के आसपास, नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों, यानि डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, एंड्रयूज गंज और अंत में तुगलकाबाद विस्तार पर थी, जैसा उसके मोबाइल फोन कॉल विवरण के सत्यापन से पाया गया। भले ही परिवादिया/अभियोक्त्री मनोज कुमार सोनी पुत्र सीता राम सोनी से विवाहित थी (जैसा कि किरायेदारों की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस प्रारूप में संलग्न एक शपथ पत्र में वर्णित किया गया और जांच अधिकारी

द्वारा विधितः सत्यापित किया गया है, जिसमें उसने खुद को विवाहित बताया था), पुलिस को की गई शिकायत (16.2.2007 और 21.2.2007 को) में, उसने सुझाव दिया था कि वह विवाहित नहीं थी। जिस समय परिवादिया/अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने 15.2.2007 को उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी लज्जा भंग की थी (उसकी शिकायत दिनांकित 16.2.2007 के अनुसार), वह वास्तव में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी (जैसा कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन कॉल विवरण के आधार पर सत्यापन किया गया)। भले ही परिवादिया/अभियोक्त्री ने अपनी शिकायत दिनांक 16.2.2007 में केवल यह आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उसके स्तनों को छूकर उसकी लज्जा भंग की थी, बाद में उसने एक अनुपूरक कथन (21.2.2007 को) के माध्यम से आरोपी के खिलाफ आगे पहली शिकायत से पहले की तारीखों से पहले उसके साथ लगातार (23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को) बलात्संग करने के और भी आरोप लगाए थे।

10. 28.6.2007 को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 354 और 376 के तहत आरोप पत्र दायर किया । आरोप पत्र में, यह स्पष्ट वर्णित था, कि अलग-अलग दृष्टिकोण से किये गये पुलिस अनुसंधान का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। हालांकि, आरोप पत्र परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समा धारा

164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथनों पर आधारित था, जो अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए पर्याप्त पाया गया था। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाने वाले आरोप पत्र का एक प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "मुझ निरीक्षक, ने बलात्संग के समय पहने गए नशीले पदार्थ/पेप्सी/पेप्सी के गिलास और अंडरगारमेंट्स को बरामद करने के लिए हर दृष्टिकोण से सर्वोत्तम प्रयास किया है। लेकिन कुछ बरामद नहीं हो सका और इस कारण आरोपी के खून का नमूना एफएसएल नहीं भेजा जा सका. अब तक किये गये अनुसंधान से धारा 328/354 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिल सका और यहां तक कि अभियुक्त प्रशांत भारती का मोबाईल फोन खराब होने के कारण तारीख व समय पर लोदी काॅलोनी में उपलबध नही था। हालांकि, अभियोक्त्री प्रिया पोरवाल ने 21.2.2007 और 27.2.2007 को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन किये है जो अपराध अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत उसके आरोप पत्र के समर्थन में पर्याप्त है।"
>
> (जोर दिया गया)

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट (2007 की 47) पुलिस थाना लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में पंजीकृत से व्यथित होकर, अपीलार्थी-अभियुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु इस आधार पर रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2007 की 1112 दायर की कि उसे झूठा फंसाया गया है। उच्च न्यायालय ने, 27.8.2007 को विवाद के गुण-दोष पर जाए बिना, निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज करते हुए, खारिज कर दी:-

> "यह अदालत इस आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं कर सकती कि एफआईआर झूठी एफआईआर थी। झूठी एफआईआर के मामले में, इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए और अनुसंधान अधिकारी को इस आशय की एक रिपोर्ट देनी होगी। इस मामले में, यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है और शिकायत झूठी थी, तो यह अनुसंधान अधिकारी के लिये बाध्यकारी है कि वह अभियोक्त्री के विरूद्ध प्रकरण व्यक्ति को धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध में झूठा फंसाने के लिये दर्ज करे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है कि एक अभियोक्त्री केवल झूठा कथन देकर किसी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज करा सकती है, जो गंभीर प्रकृति का है और 07 साल के न्यूनतम दंड का

प्रावधान करता है। मेरा मानना है कि अनुसंधान अधिकारी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा है कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है, तो वह याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए परिवादिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कदम उठाएगा।"

12. दिलचस्प रूप से, परिवादिया/अभियोक्त्री ने भी रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2008 की 257 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष परिवादिया/अभियोक्त्री स्वयं द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु दायर की। परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 का 257। उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.8.2007 के आदेश (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2007 की 1112 में पारित) में दर्ज टिप्पणियों पर ध्यान में रखा और परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

13. 1.12.2008 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ निम्नानुसार आरोप तय किए: -

"4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभियोक्त्री ने अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं कि उसे पीने के लिए पेप्सी दी गई थी और उसे पीने के

बाद वह नशे में थी और अभियुक्त ने उसे छेड़ा, उसके स्तन पर हाथ फेरा और पहले उसके साथ विवाह के आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाए। मैं इस समग्र मत का हूॅ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354/328/376 के आरोप के संबंध में पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर लाया है। तद्नुसार आरोप विरचित किया जावे।"

14. उसके खिलाफ आरोप तय करने में विचारण न्यायालय की कार्यवाही से असंतुष्ट, अपीलार्थी-अभियुक्त ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2009 की 08 दायर की, जिसके तहत उसने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1.12.2008 को पारित आदेश की आलोचना की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए 16.1.2009 को पुनरीक्षण याचिका खारिज की:-

"12. आरोपों की सत्यता या झूठ, अनिवार्य रूप से साक्ष्य के दायरे से संबंधित है और इस प्रारंभिक प्रक्रम में इसका पूर्व-निर्णय नहीं किया जा सकता है। मुझे विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं मिली। परिणामस्वरूप, इस पुनरीक्षण याचिका को यह स्पष्ट करते हुए खारिज किया जाता है कि एतस्मिनपश्चात इसमें किसी भी चीज़ को विचारण में विचार के रूप में नहीं माना जाएगा।"

15. वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा परिवादिया/अभियोक्त्री को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, वह व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करने (या अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने) में विफल रही। उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.5.2010 और फिर 16.10.2012 के अनुसरण में जमानतीय वारंट जारी किए गए। परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया 8.11.2012 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई। सुनवाई के दौरान, उसकी वैवाहिक स्थिति (अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ कथित घटनाओं के समय) के संबंध में उससे मांगे गए स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप, उसने इस न्यायालय को सूचित किया कि हालांकि उसका पहले विवाह हो चुका था, उसने घटना की तारीखों से पहले पूर्व पति से विवाह विच्छेद कर लिया था। घटना की तारीखों के अनुसार उसकी वैवाहिक स्थिति से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने के लिए, उसे अपने पिछले पति से विवाह विच्छेद के निर्णय और डिक्री को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तद्नुसार, उसने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड), कानपुर (ग्रामीण) के न्यायालय के दिनांक 23.9.2008 के निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। प्रिया, परिवादिया/अभियोक्त्री और उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी एक फोटोप्रति को अभिलेख पर लिया गया। इसके अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि परिवादिया/अभियोक्त्री का विवाह 14.6.2003 को लालजी पोरवाल से हुआ था। 23.9.2008 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 ख के तहत आपसी सहमति से उसका अपने कथित पति से विवाह विच्छेद हो

गया था। परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया ने भी पुष्टि की कि उसने उसके बाद दोबारा विवाह कर ली है। उसने हमारे सामने दिनांक 30.9.2008 का एक "विवाह प्रमाण पत्र" भी प्रस्तुत किया। प्रिया और उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित फोटोप्रति भी अभिलेख ली गई। इसके अवलोकन से पता चलता है कि, प्रिया (जन्मतिथि, 17.6.1986) पुत्री अनूप कुमार का विवाह 30.9.2008 को मनोज (जन्मतिथि 8.12.1983) पुत्र राम कुमार से हुआ था।

16. ऊपर बताई गई तथ्यात्मक स्थिति हमें परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा (अनुपूरक कथन दिनांक 21.2.2007 में) अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ किए गए अभिकथन पर कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाएगी। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उसने आरोप लगाया था कि प्रशांत भारती ने उसे इस आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था कि वह उससे विवाह करेगा। जाहिर है, अगर विवाह के लिए प्रलोभन किसी अविवाहित व्यक्ति को दिया जाए तो यह समझ में आता है। दिनांक 23.9.2008 के निर्णय और डिक्री से पता चलता है कि परिवादिया/अभियोक्त्री का विवाह 14.6.2003 को लालजी पोरवाल से हुआ था। इससे यह भी पता चलता है कि उपरोक्त विवाह 23.9.2008 तक अस्तित्व में रहा, जब दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ख के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लिया। दिनांक 21.2.2007 को अपने अनुपूरक बयान में, परिवादिया/अभियोक्त्री ने प्रशांत भाटी पर आरोप

लगाया कि उसने उससे विवाह करने के झूठे वादे के आधार पर 23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को अपने निवास पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अकाट्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित तिथियों के दौरान और उसके बाद एक वर्ष और आठ महीने से अधिक की अवधि तक, वह लालजी पोरवाल से विवाहित रही थी। ऐसी स्थिति में, परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा किया गया अभिकथन, कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने इस आश्वासन पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए कि वह उससे विवाह करेगा, पूरी तरह से गलत है और इस तरह अस्वीकार्य है। वह, किसी भी अन्य से अधिक, इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत थी कि उसका लालजी पोरवाल के साथ वैध विवाह था। तदनुसार, विवाह के आश्वासन के तहत किसी को भी उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने की स्थिति में होने का कोई सवाल ही नहीं था। यदि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा स्वयं हमारे समक्ष प्रस्तुत दिनांक 23.9.2008 के निर्णय और डिक्री को दिनांक 21.2.2007 के अनुपूरक कथन में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति के साथ विचार करें तो यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि परिवादिया/अभियोक्त्री अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ 23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को व्यभिचार के रिश्ते में थी, जबकि वह वैध रूप से पूर्व पति लालजी पोरवाल से विवाहित थी। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा किया गया अभिकथन, कि अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती ने उससे

विवाह करने के वादे के आधार पर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था, अकाट्य रूप से झूठा है।

17. क्या अभियोजन पक्ष के लिए परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया और अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती के बीच लैंगिक संबंध स्थापित करना संभव होगा, यह अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का सवाल है, ऊपर चर्चा किए गए चिकित्सकीय साक्ष्य से पता चलता है कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा की गई शिकायत में अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती द्वारा उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर एक महीने से अधिक समय बाद किया गया था। इसलिए, एम्स में उसकी चिकित्सा जांच के दौरान योनि स्मीयर नहीं लिया गया। उसके कपड़े भी एम्स द्वारा फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे गए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर घटना के समय पहने अपने कपड़े बदल लिए थे। किसी भी वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में, परिवादिया/अभियोक्त्री और अपीलार्थी के बीच लैंगिक संभोग का प्रमाण परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दिए गए अभिकथन पर आधारित होगा। और अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा इसका स्पष्ट खंडन, एक का शब्द दूसरे के विरुद्ध। ऊपर देखे गए परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दिए गए बयान की मिथ्याता (और एतस्मिनपश्चात बताए जाने वाले अन्य मिथ्या कथन) के आधार पर, यह संभावना नहीं है कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा दिया गया तथ्यात्मक अभिकथन, अपीलार्थी-अभियुक्त के मुकाबले स्वीकार्य

होगा। तर्क के लिए, भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी-अभियुक्त प्रशांत भारती और परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया के बीच वास्तव में शारीरिक संबंध थे, जैसा कि आरोप लगाया गया है, यह आवश्यक रूप से सहमति से होना चाहिए, क्योंकि यह है स्वयं परिवादिया/अभियोक्त्री के मामले में, कि उक्त शारीरिक संबंध विवाह के आश्वासन के परिणामस्वरूप उसकी सहमति से था। लेकिन फिर, ऊपर की चर्चा, ऐसे आश्वासन को स्पष्ट रूप से नकारती है। बिना किसी आश्वासन के सहमति से बनाया गया संबंध, जाहिर तौर पर प्रशांत भारती के खिलाफ लगाए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध को साबित नहीं करेगा।

18. जहाँ तक परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा अपनी पहली शिकायत दिनांक 16.2.2007 में किए गए अभिकथन का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उसके आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 2007 की 47 पुलिस थाना लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में दर्ज की गयी थी। परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया ने अपनी उपरोक्त शिकायत में आरोप लगाया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसे रात 8.45 बजे उसके फोन पर फोन कर बुलाया था और उसे लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में मिलने के लिए कहा था। जब वह वहां पहुॅची तो उसने उसे अपनी कार में घुमाया। उसने उसे ठंडा पेय (पेप्सी) भी दिया जिसमें जहरीला/नशीला पदार्थ मिला हुआ था। ठंडा पेय पीने के बाद, उसने बताया कि उसे ठीक महसूस नही हो रहा था, जिसके बाद उसने उसका फायदा उठाया और उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और

उसके स्तनों को भी छुआ। जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का सवाल है, 15.2.2007 की रात 8.45 बजे के बाद कथित घटना स्थल (लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली) में परिवादिया/अभियोक्त्री के साथ-साथ अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति थी, संबंधित पक्षों के मोबाइल फोन कॉल विवरण के आधार पर झूठी स्थापित की गई है। इस संबंध में विवरण ऊपर पैरा 8 में संक्षेपित किया गया है। संक्षिप्तता के कारण इसे दोहराया नहीं जा रहा है। उपरोक्त तथ्यात्मक मामले के प्रमाण को सभी आशय और उद्देश्यों के लिए निर्णायक माना जाना चाहिए, विशेषकर, गजराज बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) [(2011) 10 एससीसी 675] में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, जिसमें निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

> "19. मामले के उपरोक्त अर्थ में, अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित मिनाक्षी पीडब्लू 23 के बयान में विसंगति, साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिए गए तर्क महत्वहीन हो जाते हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विचारण के दौरान जिस प्रक्रिया से आरोपी-अपीलार्थी की पहचान की गई, वह वैध और अजेय थी। हैंडसेट का आईईएमआई नंबर, जिस पर आरोपी-अपीलार्थी अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल फोन (सिम) का उपयोग करके कॉल कर रहा था, एक निर्णायक प्रकृति का सबूत होने के नाते, मामूली विसंगतियों के आधार पर नजरअंदाज

नहीं किया जा सकता है। वास्तव में मौखिक साक्ष्य में गंभीर विसंगति होने पर भी उपरोक्त प्रामाणिक डिजिटल साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता, जो कि मशीन संचालित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपोत्पाद है, जिसमें कोई हाथों का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए पहले तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं।"

उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष, कि दोनों संबंधित पक्ष 15.2.2007 को रात 8.45 बजे के बाद लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में मौजूद नहीं थे, जैसा कि पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर स्थापित किया गया है, को विचारण के सामापन पर अंतिम निष्कर्ष पर नहीं बदला जा सकता है, चूँकि उपरोक्त निर्धारण का आधार वैज्ञानिक साक्ष्य है। न ही परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा उक्त सामग्री का विरोध किया गया है। एक बार जब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि परिवादिया/अभियोक्त्री और अपीलार्थी-अभियुक्त अलग-अलग स्थानों पर थे, एक-दूसरे से बहुत दूर थे, और निश्चित रूप से लोदी काॅलोनी, नई दिल्ली के अंदर 15.2.2007 की रात को नहीं थे, यह स्पष्ट है कि परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया द्वारा प्रशांत भारती, अपीलार्थी-आरोपी के खिलाफ उसकी लज्जा भंग करने का लगाया गया आरोप झूठा था। अब जो दृष्टिकोण स्थापित हुआ है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, परीक्षण के समापन पर उसी साक्ष्य के आधार पर फिर से

पुष्टि करनी होगी। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने पर, हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोप, जिसकी परिणति 16.2.2007 को पुलिस थाना लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के रूप में हुई, यहां तक कि उसके अनुपूरक बयान के रूप में, उसे कभी भी दोषसिद्धि के लिये अग्रसर नही करेगी।

19. अभियुक्त के विरूद्ध प्रारम्भ की गयी आपराधिक कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे एतस्मिनपश्चात सीआरपीसी से निर्देशित किया जावेगा) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने से संबंधित विधि की प्रस्थापना को इस न्यायालय द्वारा राजीव थापर व अन्य बनाम मदन लाल कपूर (वर्ष 2013 की आपराधिक अपील संख्या ....., एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2008 की 4883 से उद्भूत, निर्णित दिनांक 23.1.2013) में समझाया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-

> 22. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मुद्दा वर्तमान प्रकरण में परीक्षित किया जा रहा है, यदि वह आदेशिका जारी करने के स्तर पर, या उपार्पित करने के स्तर पर, यहां तक कि आरोप विरचित करने के स्तर पर किसी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का विकल्प चुनता है। ये सभी वास्तविक परीक्षण शुरू

होने से पहले के चरण हैं। वही मापदंड स्वाभाविक रूप से बाद के चरणों के लिए भी उपलब्ध होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति, एतस्मिनपूर्व वर्णित स्तर पर, दूरगामी परिणाम होगें, यहां तक कि, यह अभियोजन/परिवादिया को सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना अभियोजन/परिवादिया के मामले को खारिज कर देगा। ऐसा निर्धारण हमेशा सावधानी, देखभाल और ऐहतियात से किया जाना चाहिए। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री ऐसी है, जो इस निष्कर्ष के लिये अग्रसरण करेगी कि उसका/उनका बचाव ठोस, उचित और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है; प्रस्तुत सामग्री ऐसी है, जो अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित अभिकथन को खारिज और विस्थापित कर देगी; और प्रस्तुत सामग्री ऐसी है, जो अभियोजन/परिवादिया द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार और खारिज कर देगी। यह किसी भी साक्ष्य को दर्ज करने की आवश्यकता के बिना, अभियोजन/परिवादिया द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने, अस्वीकार करने और खारिज

करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए बचाव पक्ष द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया है, उसका खंडन नहीं किया जाना चाहिए था, या वैकल्पिक रूप से, वास्तविक और त्रुटिहीन गुणवत्ता की सामग्री होने के कारण, उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया वह ऐसी होनी चाहिए, जो एक उचित व्यक्ति को आरोपों के वास्तविक आधार को झूठा बताकर खारिज करने और निंदा करने के लिए प्रेरित करे। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय की न्यायिक चेतना उसे ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राजी करेगी, क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।

23. पूर्वगामी अनुच्छेदों में बताए गए कारकों के आधार पर, हम सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का उपयोग करके आरोपी द्वारा उठायी गयी रद्द करने की प्रार्थना की सत्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का वर्णन करेंगे:-

(i) पहला कदम, क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया है वह ठोस, उचित और निर्विवाद है, यानि सामग्री वास्तविक और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है?

(ii) चरण दो, क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया है, वह आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी, यानि, सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक अभिकथनों को खारिज करने और नकारने के लिए पर्याप्त है, यानि सामग्री ऐसी है, जो किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा बताकर खारिज करने और निंदा करने के लिए प्रेरित करेगी।

(iii) चरण तीन, क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया है, उसका अभियोजन/परिवादिया द्वारा खंडन नहीं किया गया है; और/या सामग्री ऐसी है, जिसका अभियोजन/परिवादिया द्वारा उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है?

(iv) चरण चार, क्या विचारण को आगे बढ़ाने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी?

यदि सभी चरणों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय की न्यायिक चेतना को ऐसे आपराधिक कार्यवाही को, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, रद्द करने के लिए राजी करना चाहिए। शक्ति के ऐसे प्रयोग से, अभियुक्त को न्याय देने के अलावा,

बहुमूल्य न्यायालय समय बचेगा, जो अन्यथा इस तरह के मुकदमे (साथ ही, उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) का विचारण करने में बर्बाद हो जाएगा, विशेष रूप से तब, जब यह स्पष्ट हो कि इसका निष्कर्ष अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं होगा।"

20. प्रिया द्वारा 16.2.2007 और 21.2.2007 को की गई शिकायतों से उत्पन्न मामले के प्रत्येक पहलू के संबंध में विवरण की पूर्वगामी अनुच्छेदों में व्यापक विस्तार से परीक्षा की गई है। अब हम यह निर्धारित करेंगे कि क्या इस न्यायालय द्वारा ऊपर दिए गए निर्णय में उठाए गए कदमों को संतुष्ट माना जा सकता है। जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का सवाल है, पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित तथ्यात्मक विवरण को इसके बाद संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथमतः, अपीलार्थी-अभियुक्त 15.2.2007 को उत्तर प्रदेश राज्य में सेक्टर 37, नोएडा में था। शाम 7.55 बजे से पहले वह नोएडा में था। तत्पश्चात, वह नोएडा के भीतर विभिन्न स्थानों पर और फिर शकरपुर, गाजियाबाद, पटपड़गंज, जोरबाग आदि में रहा। 15.2.2007 को रात 9.15 बजे से 11.30 बजे तक, वह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रंगोली लॉन में मनाए गए एक विवाह वर्षगांठ समारोह में उपस्थित रहा। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर उपरोक्त आशय के शपथ पत्र को अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन कॉल विवरण के आधार पर सही पाया गया। तद्द्वारा अभियुक्त घटना स्थल पर नहीं था, जैसा कि दिनांक 16.2.2007 की शिकायत में आरोप लगाया गया था। द्वितीयतः,

परिवादिया/अभियोक्त्री प्रिया के मोबाइल फोन कॉल विवरण के सत्यापन से पता चला कि 15.2.2007 को, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादिया/अभियोक्त्री को कोई कॉल नहीं की गई थी, और यह परिवादिया/अभियोक्त्री ही थी जिसने उसे कॉल किया था। तृतीय, परिवादिया/अभियोक्त्री, दिनांक 16.2.2007 की शिकायत में उल्लिखित समय पर और उसके आसपास नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर थी, यानि डिफेंस काॅलोनी में, ग्रेटर कैलाश, एंड्रयूज गंज और अंत में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में थी, जैसा अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके मोबाईल फोन काॅल विवरण से सत्यापन किया गया। परिवादिया भी घटनास्थल पर नहीं थी, जैसा कि उसने स्वयं दिनांक 16.2.2007 की शिकायत में आरोप लगाया था। चतुर्थ, जिस समय परिवादिया/अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और 15.2.2007 को उसकी लज्जा भंग की थी (उसकी शिकायत दिनांक 16.2.2007 के अनुसार), वह वास्तव में अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप में थी (जैसा उसके मोबाइल फोन कॉल विवरण के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया)। पांचवां, भले ही परिवादिया/अभियोक्त्री ने अपनी शिकायत दिनांक 16.2.2007 में केवल यह आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके स्तनों को छूकर उसकी लज्जा भंग की थी, कालांतर में उसने एक अनुपूरक कथन (21.2.2007 को) के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ बलात्यंग के अपराध के आरोप लगाए थे। छठा, भले ही परिवादिया/अभियोक्त्री का विवाह मनोज कुमार सोनी पुत्र

सीता राम सोनी से हुआ था (जैसा कि किरायेदारों की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस प्रारूप में संलग्न एक शपथ पत्र में दर्शाया गया है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, जिसमें उसने स्वयं को विवाहित बताया था), पुलिस को की गई शिकायत (16.2.2007 और 21.2.2007 को) में, उसने सुझाव दिया था कि वह अविवाहित थी। सातवां, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड), कानपुर (ग्रामीण) के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.9.2008 के अनुसार, परिवादिया का विवाह 14.6.2003 को लालजी पोरवा से हुआ था। उपरोक्त विवाह 23.9.2008 तक अस्तित्व में रहा। परिवादिया द्वारा दिनांक 16.2.2007 और 21.2.2007 को लगाए गए आरोप 23.12.2006, 25.12.2006, 1.1.2007 और 15.2.2007 की घटनाओं से संबंधित हैं अर्थात सकारात्मक रूप से लालजी पोरवाल के साथ विवाह अस्तित्व के दौरान। इसके बाद, परिवादिया प्रिया ने 30.9.2008 को एक अन्य व्यक्ति मनोज से विवाह कर लिया। इसका प्रमाण दिनांक 30.9.2008 के "विवाह प्रमाणपत्र" से मिलता है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि परिवादिया को विवाह के आश्वासन के आधार पर शारीरिक संबंध के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। आठवां, परिवादिया और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध स्पष्ट रूप से सह संवेदी थे। हालांकि प्रिया ने अपनी शिकायतों में कहा था कि उसकी सहमति आरोपी द्वारा विवाह के झूठे आश्वासन पर आधारित थी। चूंकि आश्वासन का पहलू गलत साबित हुआ है, इसलिए पक्षकारों के बीच अभिस्वीकृत सहमति से शारीरिक संबंध आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का गठन नही करता है। खासकर

इसलिए क्योंकि घटना की तारीख पर परिवादिया वयस्क थी, यह तथ्य 30.9.2008 के "विवाह के प्रमाण पत्र" से सामने आता है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 17.7.1986 बताई गई है। नौवां, एम्स द्वारा दिनांक 16.2.2007 को अभिलिखित मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिया की जांच में उसे जहर दिए जाने का कोई सबूत नहीं मिला। परिवादिया द्वारा लगाए गए तत्काल आरोप को अब स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि दिनांक 16.2.2007 की मेडिकल रिपोर्ट में भी यह देखा गया था कि बीच में हुई देरी के कारण रक्त के नमूने जांच के लिए नहीं भेजे जा सके। इसी कारण से ठंडे पेय (पेप्सी) में कुछ नशीला पदार्थ आरोपी द्वारा पिलाने के लगाए गए आरोपों को भी अब ठोस सबूतों से स्थापित नहीं किया जा सकता है। दसवां, दिनांक 28.6.2007 के आरोप-पत्र में तथ्यात्मक स्थिति इंगित की गई है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, पुलिस ठंडे पेय (पेप्सी) के कंटेनर या ग्लास को बरामद नहीं कर सकी, जिसमें परिवादिया ने उसका सेवन किया था। परिवादिया द्वारा लगाए गए आरोपों को पुलिस द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक साक्ष्य से भी सत्यापित नहीं किया जा सका, यह आरोप-पत्र दिनांक 28.6.2007 को देखने से स्पष्ट है। ग्यारहवां, एम्स द्वारा दिनांक 21.2.2007 को अभिलेखित मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया द्वारा दिए गए अभिकथन, कि आरोपी ने 23.12.2006, 25.12.2006 और 1.1.2007 को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, को भी मेडिकल रिपोर्ट से घटनाआेंं की तारीखों के बीच विलम्ब के कारण और उसका चिकित्सा परीक्षण 21.2.2007 को

होने के कारण उसका योनि स्मीयर नही लिये जाने से और उसके कपड़े फाॅरेन्सिक परीक्षण के लिये नही भेजे जाने से सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

21. सबसे महत्वपूर्ण, कि उपरोक्त आरोपों के विरुद्ध परिवादिया द्वारा कोई भी अभिवचन दायर नही किये गये है। सुनवाई के दौरान भी अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री का अवलम्ब लिया गया उसका खंडन नहीं किया गया। दरअसल, परिवादिया/अभियोक्त्री ने स्वयं इस प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, कि उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना को रद्द कर दिया जाए। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि आरोपी द्वारा अवलम्बित सामग्री का परिवादिया/अभियोक्त्री द्वारा खंडन नहीं किया गया है। यहां तक कि दिनांक 28.6.2007 के आरोप पत्र (ऊपर उद्धृत) में भी अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उसे आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत परिवादिया/अभियोक्त्री के बयान के आधार पर ही आरोप पत्र दायर किया गया था।

22. पिछले दो अनुच्छेदों में संक्षेपित तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र विचार के आधार पर; हम संतुष्ट हैं, कि राजीव थापर के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सभी चरण संतुष्ट हैं। सभी चरणों का उत्तर केवल सकारात्मक में दिया जा सकता है। इसलिए हमें यह

निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को आरोपी-अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आक्षेपित आदेश पारित करते समय उसे संतुष्ट करना चाहिए था। इसलिए पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं, कि अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 328, 354 और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, और परिणामी आरोप पत्र दिनांक 28.6.2007, और साथ ही 1.12.2008 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली द्वारा तय किये गये आरोप, रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार उसे रद्द किया जाता है।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारण किया गया।

आर.पी.

अपील निस्तारित की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री अरुण जांगिड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****